इतिहास और नागरिकशास्त्र

आठवीं कक्षा

भारत का संविधान

भाग 4 क

मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य– भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे ।

शासन निर्णय क्रमांक : अभ्यास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ दिनांक २५.४.२०१६ के
अनुसार समन्वय समिति का गठन किया गया ।
दिनांक २९.१२.२०१७ को हुई इस समिति की बैठक में सन २०१८-१९
इस कालावधि से यह पाठ्यपुस्तक निर्धारित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई ।

इतिहास और नागरिकशास्त्र

आठवीं कक्षा

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

99AFGP

आपके स्मार्ट फोन के DIKSHA APP द्वारा पाठ्यपुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर दिए गए Q.R.Code के माध्यम से डिजीटल पाठ्यपुस्तक और प्रत्येक पाठ में दिए हुए Q.R.Code के माध्यम से उन पाठों से संबंधित अध्ययन-अध्यापन करने के लिए उपयुक्त दृश्य-श्रव्य सामग्री/साहित्य उपलब्ध होगा ।

प्रथमावृत्ति : २०१८
पुनर्मुद्रण : नवंबर २०२०

© **महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती एवं अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे ४११ ००४.**
इस पुस्तक का सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के अधीन सुरक्षित है । इस पुस्तक का कोई भी भाग महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के संचालक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता ।

इतिहास विषय समिति

डॉ. सदानंद मोरे, अध्यक्ष
श्री मोहन शेटे, सदस्य
श्री पांडुरंग बलकवडे, सदस्य
डॉ. शुभांगना अत्रे, सदस्य
डॉ. सोमनाथ रोडे, सदस्य
श्री बापूसाहेब शिंदे, सदस्य
श्री बाळकृष्ण चोपडे, सदस्य
श्री प्रशांत सरूडकर, सदस्य
श्री मोगल जाधव, सदस्य-सचिव

नागरिकशास्त्र विषय समिति

डॉ. श्रीकांत परांजपे, अध्यक्ष
प्रा. साधना कुलकर्णी, सदस्य
डॉ. प्रकाश पवार, सदस्य
प्रा. अजिंक्य गायकवाड, सदस्य
प्रा. संगीता आहेर, सदस्य
डॉ. मोहन काशीकर, सदस्य
श्री वैजनाथ काळे, सदस्य
श्री मोगल जाधव, सदस्य-सचिव

इतिहास और नागरिकशास्त्र अध्ययन वर्ग

श्री राहुल प्रभू
श्री संजय वझरेकर
श्री सुभाष राठोड
सौ. सुनीता दळवी
डॉ. शिवानी लिमये
श्री भाऊसाहेब उमाटे
डॉ. नागनाथ येवले
श्री सदानंद डोंगरे
श्री रवींद्र पाटील
सौ. रूपाली गिरकर
डॉ. मिनाक्षी उपाध्याय
डॉ. रावसाहेब शेळके
डॉ. सतीश चापले
श्री विशाल कुलकर्णी
श्री शेखर पाटील
श्री रामदास ठाकर
डॉ. अजित आपटे
डॉ. मोहन खडसे
सौ. शिवकन्या कदेरकर
श्री गौतम डांगे
डॉ. व्यंकटेश खरात
श्री रविंद्र जिंदे
डॉ. प्रभाकर लोंढे
डॉ. मंजिरी भालेराव
प्रा. शशि निघोजकर

भाषांतरकार

प्रा. शशि निघोजकर
प्रा. ज्ञानेश्वर सोनार

समीक्षक

डॉ. प्रमोद शुक्ल

लेखन गट

श्री राहुल प्रभू
श्री भाऊसाहेब उमाटे
श्री प्रशांत सरूडकर
प्रा. शिवानी लिमये
श्री संजय वझरेकर
प्रा. साधना कुलकर्णी

मुखपृष्ठ एवं सजावट

श्री दिलीप कदम

मानचित्रकार

श्री रविकिरण जाधव

अक्षरांकन

मुद्रा विभाग, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे

कागज : ७० जी.एस.एम. क्रिमवोव

मुद्रणादेश : N/PB/2021-22/Qty.- 2,000

मुद्रक : M/s. Renuka Binders, Pune

संयोजक

श्री मोगल जाधव
विशेषाधिकारी, इतिहास व नागरिकशास्त्र
सौ. वर्षा सरोदे
सहायक विशेषाधिकारी, इतिहास व नागरिकशास्त्र
पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे.

निर्मिति

श्री सच्चितानंद आफळे,
मुख्य निर्मिति अधिकारी
श्री प्रभाकर परब,
निर्मिति अधिकारी
श्री शशांक कणिकदळे,
सहायक निर्मिति अधिकारी

प्रकाशक

ि ,
व
पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई-२५.

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए,
तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय**,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता**,
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) **को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

राष्ट्रगीत

जनगणमन – अधिनायक जय हे
भारत – भाग्यविधाता ।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, बंग,
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधितरंग,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे,
गाहे तव जयगाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे,
भारत – भाग्यविधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ।।

प्रतिज्ञा

भारत मेरा देश है । सभी भारतीय मेरे भाई–बहन हैं।

मुझे अपने देश से प्यार है । अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है ।

मैं हमेशा प्रयत्न करूँगा/करूँगी कि उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो ।

मैं अपने माता–पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूँगा/करूँगी और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूँगा/करूँगी ।

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अपने देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूँगा/रखूँगी । उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है ।

प्रस्तावना

विद्यार्थी मित्रो...

तुमने तीसरी कक्षा से पाँचवीं कक्षा तक इतिहास और नागरिकशास्त्र विषयों का अध्ययन 'परिसर अध्ययन' में किया है । छठी कक्षा से पाठ्यक्रम में इतिहास और नागरिकशास्त्र विषय स्वतंत्र रखे गए हैं और इन दोनों विषयों का समावेश एक ही पाठ्यपुस्तक में किया गया है । आठवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक तुम्हारे हाथों में देते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है ।

विषय का भली-भाँति आकलन हो, विषय मनोरंजक लगे और हमारे पूर्वजों के कार्यों से प्रेरणा मिले; इस दृष्टि से पाठ्यपुस्तक की रचना की गई है । इस पाठ्यपुस्तक के अध्ययन द्वारा ज्ञान के साथ-साथ तुम्हारा अध्ययन सार्थक होगा, ऐसा हमें लगता है । इसके लिए पाठ्यपुस्तक में रंगीन चित्र और मानचित्र दिए गए हैं । पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो । पाठ का जो अंश/हिस्सा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा; उस अंश/हिस्से को अपने शिक्षक, अभिभावकों से समझ लो । चौखटों में दिया गया पाठ्यांश तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ाएगा । तुम्हें अधिक जानना होगा तो 'एप' के माध्यम से क्यू.आर.कोड द्वारा प्रत्येक पाठ के विषय में उपयुक्त दृश्य-श्रव्य सामग्री तुम्हें उपलब्ध होगी । अध्ययन के लिए इसका निश्चित रूप से उपयोग होगा । इतिहास विषय को रोचक बनाने का प्रयास किया गया है । अतः तुममें इस विषय के प्रति निश्चित रूप से रुचि उत्पन्न होगी ।

इतिहास विभाग में 'आधुनिक भारत का इतिहास' दिया गया है । इतिहास में आई हुई नई विचारधारा और शिक्षा के राष्ट्रीय केंद्रिक तत्त्वों और अध्ययन निष्पत्तियों का समन्वय साधकर प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक का लेखन किया गया है। आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय सिद्धांतों की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती गई; यह पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करने से स्पष्ट होगा । पाठ्यपुस्तक में आधुनिक भारतीय इतिहास के साधनों से परिचित कराया गया है । साथ ही; भारत में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार किस प्रकार होता गया; इसकी समीक्षा की गई है । अंग्रेजी सत्ता के जूए से भारत को स्वतंत्र करने के लिए भारतीय जनता द्वारा किया गया अविस्मरणीय संग्राम और त्याग की जानकारी इतिहास विभाग में दी गई है ।

नागरिकशास्त्र के विभाग में संसदीय शासन प्रणाली का परिचय कराया है । हमारे देश का शासन संविधान, कानून और नियमों के अनुसार चलता है; इसे स्पष्ट किया है । पाठ्यपुस्तक में भारत की संसद, केंद्रीय कार्यपालिका, न्यायपालिका, राज्य सरकार का प्रशासन, नौकरशाही की संरचना और इन सभी की समाज की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो भूमिका होती है; उसे स्पष्ट किया है ।

पुणे

दिनांक : १८ अप्रैल २०१८, अक्षय्य तृतीया

भारतीय सौर दिनांक : २८ चैत्र १९४०

(डॉ.सुनिल मगर)

संचालक

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व

अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

शिक्षकों के लिए

छठी और सातवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में हमने क्रमशः प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया । आठवीं कक्षा के इतिहास में भारत में उपनिवेशीकरण और निःउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया तथा स्वातंत्र्योत्तर अवधि में हुए संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का समावेश है । स्वतंत्रता युद्ध के लिए कारण बनी वैचारिक प्रेरणा, भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए योगदान का अध्ययन करने से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय दायित्वबोध और राष्ट्राभिमान बढ़ेगा ।

इतिहास विज्ञानाधिष्ठित अध्ययन विषय है । इसलिए इतिहास के साधनों का असाधारण महत्त्व है । कालक्रमानुसार इतिहास के साधनों का बदलता स्वरूप ध्यान में रखकर प्रथम विभाग में इतिहास के साधनों का समावेश किया गया है । यूरोप का पुनर्जागरण काल और क्रांतियुग के फलस्वरूप साम्राज्यवाद फला-फूला और एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीपों में उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई । भारत भी इस पश्चिमी साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा का शिकार किस प्रकार बना; ब्रिटिश शासन के भारत पर क्या परिणाम हुए, कालांतर में भारतीयों की अस्मिता जागृत होकर स्वतंत्रता की प्रेरणा किस प्रकार प्राप्त हुई; इसका हम विचार करेंगे ।

भारतीय स्वतंत्रता युद्ध का अध्यापन करते समय १८५७ ई. का स्वतंत्रता युद्ध, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, नरम और गरम पंथियों के कालखंड में राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य, गांधीयुग में सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर किए गए आंदोलन; सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन, आजाद हिंद सेना का युद्ध, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति, रियासतों का विलय, फ्रांसीसी और पुर्तगाली उपनिवेशों से मुक्ति जैसी घटनाओं की जानकारी विद्यार्थियों को दृश्य-श्रव्य साधनों (फिल्म, जानकारीपर फिल्म, अनुबोध फिल्म, ध्वनिफीता आदि), क्षेत्र सैर, प्रदर्शनियाँ, संचयिका और समाचारपत्रों जैसे माध्यमों द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है ।

राजनीतिक घटनाओं का विचार करते समय भारत के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार परिवर्तन होते गए; सामाजिक और राजनीतिक समता का विचार भारत में किस प्रकार रच-बस गया; इससे विद्यार्थियों का परिचय कराया जा सकेगा । भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि का अध्ययन करते समय महाराष्ट्र राज्य के निर्माण से संबंधित घटित गतिविधियों और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का विचार हमें करना है ।

सातवीं कक्षा के नागरिकशास्त्र विभाग में हमने संविधान द्वारा उल्लिखित सिद्धांतों और मूल्यों का अध्ययन किया है । आठवीं कक्षा के नागरिकशास्त्र विभाग में संविधान द्वारा निर्मित शासन प्रणाली, प्रशासकीय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और न्याय प्रणाली का विचार किया गया है । प्रस्तुत पाठ्यांश को सम-सामायिक घटनाओं के आधार पर पढ़ाएँ । इस पाठ्यांश और संविधान में उल्लिखित सिद्धांतों तथा उनके द्वारा प्रतिबिंबित होने वाले मूल्यों एवं आदर्शों के बीच समन्वय स्थापित करें ।

संविधान एक प्रवहमान अभिलेख है । इसके द्वारा लोकतंत्र और विधि अधिराज्य प्रत्यक्ष में साकार किया जाता है; इसका बोध विद्यार्थियों को करा दें । इससे विद्यार्थियों का सामाजिक और आर्थिक बोध अधिक परिपक्व बनने में सहायता मिलेगी । फलतः विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक संस्थाओं और विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं के बीच संबंध ढूँढ़ना संभव होगा । पाठ्यपुस्तक में निहित पाठ्यांशों के आधार पर चर्चाएँ, गुटचर्चाएँ, परियोजनाएँ, भित्तिपत्र और एक ही विषय के आधार पर कई राजनीतिक पहलू समझ सकेंगे; ऐसे उपक्रम विद्यार्थियों से करवाए जा सकेंगे ।

पाठ्यपुस्तक की रचना करते समय शिक्षा और कृतियुक्त अध्यापन को विशेष महत्त्व दिया गया है । इसके लिए विद्यार्थियों के लिए पाठ्यघटकों के विषय में अधिक और रंजक जानकारियों की चौखटें पाठ में दी गई हैं । साथ ही; 'चलो.. चर्चा करेंगे', 'करके देखो' द्वारा विद्यार्थी अध्ययन प्रक्रिया में किस प्रकार सक्रिय बना रहेगा; इसका विचार किया गया है । स्वाध्याय और उपक्रमों की रचना इस प्रकार की गई है जिससे विद्यार्थियों की कृतिशीलता, विचारशक्ति और स्वमत अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलेगा । पाठों के बारे में अतिरिक्त पूरक जानकारी देने के लिए पाठ्यपुस्तक में QR Code का समावेश किया गया है । उसका उपयोग करके प्रभावी अध्यापन करना हमें आसान होगा ।

इतिहास
(आधुनिक भारत का इतिहास)

अनुक्रमणिका

क्र.	पाठ का नाम	पृष्ठ क्रमांक
१.	इतिहास के साधन	१
२.	यूरोप और भारत	५
३.	अंग्रेजी सत्ता के परिणाम	१०
४.	१८५७ का स्वतंत्रता युद्ध	१५
५.	सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण	२१
६.	स्वतंत्रता आंदोलन युग का प्रारंभ	२५
७.	असहयोग आंदोलन	३१
८.	सविनय अवज्ञा आंदोलन	३६
९.	स्वतंत्रता युद्ध का अंतिम चरण	४०
१०.	सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन	४५
११.	समता आंदोलन	५०
१२.	स्वतंत्रता प्राप्ति	५६
१३.	स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति	५९
१४.	महाराष्ट्र राज्य का निर्माण	६२

S.O.I. Note : The following foot notes are applicable : (1) © Government of India, Copyright : 2018. (2) The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher. (3) The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line. (4) The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (5) The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted from the "North-Eastern Areas (Reorganisation) Act. 1971," but have yet to be verified. (6) The external boundaries and coastlines of India agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India. (7) The state boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chattisgarh & Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned. (8) The spellings of names in this map, have been taken from various sources.

अध्ययन निष्पत्ति

	अध्ययन
को जोड़ी यत से अध्ययन करने का अवसर देना और उसे मम के एि र करना । • भारतीय सत्ताधीशों के पारस्परिक वंशपरंपरागत विवादों में हस्तक्षेप करना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों आवश्यक लगा; जैसे विभिन्न मुद्दों और घटनाओं पर प्रश्न चिह्न लगाना । • उपनिवेशवादी प्रशासनिक केंद्रों और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के महत्त्वपूर्ण स्थानों जैसे महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों की सैर पर जाना । • गांधीजी की अहिंसा की परिकल्पना और उसका भारत की स्वतंत्रता / राष्ट्रीय आंदोलन पर हुए परिणाम । • भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं को दर्शानेवाली कालरेखा । • चौरीचौरा घटना से संबंधित भूमिका पालन का आयोजन । • 'उपनिवेशवादी कालखंड में नकदी/व्यापारिक फसलें लेने से प्रभावित हुए क्षेत्रों' को भारत के मानचित्र में दर्शाने जैसी परियोजनाओं, गतिविधियों/उपक्रमों का आयोजन करना । • तत्कालीन विविध आंदोलनों के इतिहास का बोध करने तथा पुनर्रचना करने के लिए देशी और ब्रिटिश लेखों, आत्मचरित्रों, चरित्रों, उपन्यासों, चित्रों, छायाचित्रों, समकालीन लेखन, दस्तावेजों, समाचारपत्रों में छपे संपादकीय लेखों, फिल्मों, जानकारीपर फिल्मों और आधुनिक लेखन जैसे साधनों से परिचय प्राप्त करना । • स्व-मूल्यांकन हेतु अध्यापन शास्त्र की दृष्टि से नवीनतापूर्ण और संदर्भीय (जैसे; प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे ?) प्रश्नों का परिचय करा देना ।	08.73H.01 इतिहास के विभिन्न साधनों को पहचानते हैं और आधुनिक समय के इतिहास के पुनर्लेखन के लिए उनका उपयोग स्पष्ट करते हैं । 08.73H.02 विभिन्न स्रोतों और विविध प्रदेशों के लिए उपयोग में लाई गई नामावली और उस-उस कालखंड में घटित ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर 'आधुनिक कालखंड', 'मध्ययुगीन कालखंड' और 'प्राचीन कालखंड' के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं । 08.73H.03 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अति प्रबल सत्ता किस प्रकार बनी; इसे स्पष्ट करते हैं । 08.73H.04 अलग-अलग प्रदेशों में प्रचलित अंग्रेजों की कृषि नीतियों में निहित अंतर को स्पष्ट कर बताते हैं । जैसे-नील का विद्रोह 08.73H.05 उन्नीसवीं शताब्दी की आदिवासी समाजसंरचना और पर्यावरण के बीच के संबंधों को स्पष्ट करते हैं । 08.73H.06 आदिवासी समाज के संदर्भ में अंग्रेजों की प्रशासनिक नीतियों का स्पष्टीकरण देते हैं । 08.73H.07 १८५७ के स्वतंत्रता युद्ध का प्रारंभ, विस्तार और स्वरूप तथा उससे प्राप्त बोध को स्पष्ट करते हैं । 08.73H.08 अंग्रेजों के शासनकाल में प्राचीन, नगरीय और व्यापारिक केंद्र और हस्तव्यवसाय पर आधारित उद्योग नष्ट होकर नए नगरीय व्यापारिक केंद्र एवं उद्योग-धंधे किस प्रकार विकसित हुए; इन तथ्यों का विश्लेषण करते हैं । 08.73H.09 भारत में नवीन शिक्षा व्यवस्था का संस्थानीकरण किस प्रकार हुआ; इसे स्पष्ट करते हैं । 08.73H.10 जाति व्यवस्था, महिलाओं का स्थान, विधवाओं का पुनर्विवाह, बालविवाह, सामाजिक सुधार जैसी समस्याओं के संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा निर्धारित नीतियों तथा कानूनों-अधिनियमों का विश्लेषण करते हैं । 08.73H.11 आधुनिक समय में कला के क्षेत्र में घटित प्रमुख घटनाओं की रूपरेखा को बता सकते हैं । 08.73H.12 १८७० ई.से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के कालखंड की प्रगतियात्रा की समीक्षा करते हैं । 08.73H.13 राष्ट्रनिर्माण की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण रहे घटकों का विश्लेषण करते हैं ।